विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं-3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
3(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि देशी/अंग्रेजी शराब की दुकानों को स्थापित करने के लिये विद्यालयों एवं मन्दिरों आदि से कितनी दूर पर स्थापित किये जाने का प्राविधान है?	उ.प्र. आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 यथासंशोधित 2008 के नियम-4(ए) के प्राविधानानुसार विद्यालय एवं मन्दिरों से नगर निगम क्षेत्र में 50 मीटर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में 75 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थापित किये जाने का प्राविधान है।
3(ख) जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम बेलहरा में स्थापित देशी शराब की दुकान खेसरहा अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला बेलहरी की दूरी कितनी है?	जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम बेलहरा में स्थापित देशी शराब दुकान खेसरहा अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला बेलहरी की दूरी 160 मीटर है।
3(ग) क्या विद्यालय के समीप देशी शराब की दुकान स्थापित होने से पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के मस्तिष्क पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है?	देशी शराब दुकान बेलहरा उ.प्र. आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 यथासंशोधित 2008 के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित प्रास्थिति में संचालित हो रही है, जो निकटवर्ती विद्यालय से 160 मीटर की दूरी पर है।
3(घ) क्या निर्धारित नीति का अनुपालन न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	वर्तमान में जनपद सिद्धार्थनगर में स्थित आबकारी दुकानों का संचालन आबकारी नीति एवं नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुरूप कराया जा रहा है।

Signed by
Nitin Agarwal
Date: 11-06-2024 16:47:06

(नितिन अग्रवाल)
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।